न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री हनुमानराम चौधरी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 220/2019 दायर दिनाँक 13.09.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. अर्जुनराम पुत्र तुलच्छाराम जाति जाट निवासी मोडियावट तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान। 2. सतवीर पुत्र मोटाराम 3. महेन्द्र पुत्र मोटाराम 4. सुन्दरलाल पुत्र मोटाराम 5. नन्दलाल पुत्र मोटाराम 6. चुन्नी देवी पत्नी मोटाराम 7. गणेशाराम पुत्र तुलच्छाराम 8. हरिराम पुत्र तुलच्छाराम समस्त जाति जाट निवासीगण मोडियावट तहसील–डीडवाना जिला–नागौर राज०

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी
अन्तर्गत धारा 53, 88 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री जगदीश गिरी वकील वादी
2. श्री जयवीर सिंह वकील प्रतिवादी सं0 05 ता 08

दिनाँक 23.03.2021

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के पिता स्व0 तुलच्छाराम का स्वर्गवास दिनांक 25.02.1998 को हो गया था। स्वर्गवास के वक्त पिता के नाम 47 बीघा 03 बिस्वा राजस्व खातेदारी थी। जिसके खसरा सं0 173, 177, 178, 206, 208 जो वाकै सरहद मोडियावट में अवस्थित है। खतोनी की नकल वाद के साथ पेश है। पिता का स्वर्गवास होने के बाद उक्त खातेदारी की भूमि हम चार भाईयों में मोटाराम, अर्जुनराम, गणेशाराम व हरिराम के नाम से खातेदारी में विधिवत नामान्तरकरण हम चारों भाईयों के नाम से स्वीकार किया गया तथा हम चारों भाईयों का ही मौके पर कब्जा काश्त है।

नामान्तरकरण दर्ज होने के पश्चात हल्का पटवारी द्वारा दी गई जमाबन्दी की नकल में प्रार्थी [illegible] की खातेदारी में दर्ज था परन्तु वर्तमान में उक्त खेतों [illegible] की भूमि का हैक्टयर में बदलने के कारण [illegible] ज्ञात हुआ की उसका नाम उक्त खेतों की [illegible] में [illegible] अधिकारियों की भूल व त्रुटि के [illegible] खातेदारी में दर्ज नहीं है। जबकि मौके पर मेरे बंट व हिस्से की भूमि पर कब्जा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.06.15 14:44:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with CamScanner

स्वामित्व चला आ रहा है। इसलिए मेरा नाम भी उक्त खसरान की भूमि में नाम दर्ज होना चाहिए था।

भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार की गई मिसल बन्दोबस्त में अर्जुनराम पिता तुलच्छाराम का नाम राजस्व अधिकारियों की भूल व सहवन से छुट गया तथा मिसल से तैयार की गई आधार जमाबन्दी में भी मुझ वादी अर्जुनराम पिता तुलच्छाराम का नाम भी छुट गया, नवीन जमाबन्दी के खसरा सं0 238, 242, 243, 244, 290, 291 रकबा 7.63 हैक्टयर है। भू–प्रबन्ध विभाग ने भी अपने पत्र क्रंमाक /फा/रीडर/ए.एस.ओ./2019/159 दिनांक 10.06.2019 के द्वारा वादी का नाम दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार डीडवाना को लिखा गया है। वादी अर्जुनराम पुत्र तुलच्छाराम का नाम उक्त खसरान में सहवन से छुट गया जो कतई गलत है मुझ वादी का नाम भी उपरोक्त नवीन खातेदारी में दर्ज होना आवश्यक है।

मुझ वादी के पिता की उपरोक्त खातेदारी के खसरान में मुझ वादी का नाम दर्ज नहीं होने से मुझ वादी को कोई किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होती है बल्कि दिक्क्तें कठिनाईयां होती है। इसलिए उक्त खेताय की खातेदारी में मुझ वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक होने के कारण वाद बाबत घोषणा खातेदारी का पेश है।

प्रार्थना वादी है कि ग्राम मोडियावट के खेत की नवीन जमाबन्दी के खसरा सं0 238, 242, 243, 244, 290, 291 रकबा 07.63 हैक्टयर भूमि में मुझ वादी का नाम भी राजस्व खातेदारी में दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्त किया जावें।

वादी का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 01 ता 04 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 05 ता 08 की तरफ से इकबालियां जवाब पेश हुआ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी डीडवाना मु0 सीकर ने अपने पत्रांक फा/रीडर/ए.एस.आ./2019/159 दिनांक 10.06.2019 के द्वारा तहसीलदार डीडवाना को लिखा गया है कि तहसील डीडवाना के ग्राम मोडियावट की नवीन मिसल बन्दोबस्त के खाता संख्या 254 में अर्जुनराम पि0 तुलछीराम का नाम मिसल बन्दोबस्त बनाते समय सहवन से रह गया। जबकि खसरा पत्रक में अर्जुनराम का [illegible] है। ग्राम मोडियावट की भू–प्रबन्ध सक्रियाऐं बन्द घोषित हो [illegible] की है [illegible] नवीन मिसल बन्दोबस्त के खाता संख्या 254 में अर्जुनराम का [illegible] दर्ज करने का श्रम करावें।

उक्त पत्र के संदर्भ में तहसीलदार डीडवाना [illegible] अपने पत्रांक प. भू.अ./भूप्रबन्ध/19/1985 दिनांक 05.07.2019 के द्वारा निवेदन किया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.06.15 14:44:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with CamScanner

कि तहसील डीडवाना के ग्राम मोडियावट की नवीन मिसल बन्दोबस्त के खाता संख्या 254 में अर्जुनराम पि0 तुलछीराम का नाम मिसल बन्दोबस्त बनाते समय सहवन से रह गया है। जबकि खसरा पत्रक में नाम दर्ज है। ग्राम मोडियावट की जमाबन्दी संवत 2073 के खाता संख्या 255 खसरा सं0 238, 242, 243, 244, 290, 291 की संयुक्त खातेदारी भूमि में अर्जुनराम पि0 तुलछीराम का नाम सम्मिलित किया जाना उचित है।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्को पर मनन करने व रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री वाके सरहद मोडियावट के खसरा सं0 238, 242, 243, 244, 290, 291 कुल रकबा 07.63 हैक्टयर में सहखातेदारी में वादी का नाम अर्जुनराम पुत्र तुलछीराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(हनुमानराम चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **23.03.2021** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(हनुमानराम चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.06.15 14:44:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री हनुमानराम चौधरी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 220/2019 दायर दिनाँक 13.09.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. अर्जुनराम पुत्र तुलच्छाराम जाति जाट निवासी मोडियावट तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान। 2. सतवीर पुत्र मोटाराम 3. महेन्द्र पुत्र मोटाराम 4. सुन्दरलाल पुत्र मोटाराम 5. नन्दलाल पुत्र मोटाराम 6. चुन्नी देवी पत्नी मोटाराम 7. गणेशाराम पुत्र तुलच्छाराम 8. हरिराम पुत्र तुलच्छाराम समस्त जाति जाट निवासीगण मोडियावट तहसील–डीडवाना जिला–नागौर राज0

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी
अन्तर्गत धारा 53, 88 R.T. Act.

दिनाँक 23.03.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री जगदीश गिरी वकील वादी व श्री जयवीर सिंह वकील प्रतिवादी सं0 05 ता 08 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा वाके सरहद मोडियावट के खसरा सं0 238, 242, 243, 244, 290, 291 कुल रकबा 07.63 हैक्टयर में सहखातेदारी में वादी का नाम अर्जुनराम पुत्र तुलछीराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.03.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर))

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर))

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.06.15 14:44:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner